

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 06/06/2025

क्रमांक/ 692/2025/वि-5/22/स्था. राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे तालिका के कॉलम-02 में दर्शाए गए विकास खंड अधिकारी को प्रशासकीय आधार पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के पद पर कॉलम-05 में दर्शाए गये स्थान पर पदस्थ करता है:-

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	एम्पलाई कोड	वर्तमान पदस्थापना (जनपद-जिला)	प्रस्तावित पदस्थापना (जनपद-जिला)
1	2	3	4	5
1	सुश्री उषा किरण गुप्ता वि.ख.अ.	360013299	प्र.मु.का.अ.ज.पं. अनूपपुर जिला अनूपपुर	नईगढी जिला मउगंज
2	श्री अजय सिंह वर्मा वि.ख.अ.	112007734	प्र.मु.का.अ.ज.पं. सागर जिला सागर	मुरैना जिला मुरैना
3	श्री प्रभाषराज घनघौरिया वि.ख.अ.	440005483	प्र.मु.का.अ.ज.पं. बंडा जिला सागर	नौगांव जिला छतरपुर
4	श्री आरिफ खान, वि.ख.अ.	222013169	प्र.मु.का.अ.ज.पं. लहार जिला भिण्ड	नीमच जिला नीमच
5	श्री मनीष शेंडे, वि.ख.अ.	1700018294	प्र.मु.का.अ.ज.पं. किरनापुर जिला बालाघाट	टीकमगढ जिला टीकमगढ
6	श्री चंदूलाल पनिका वि.ख.अ.	170020223	प्र.मु.का.अ.ज.पं. रीठी जिला कटनी	सीधी जिला सीधी
7	श्री दिलीप कुमार जैन, वि.ख.अ.	139911902	प्र.मु.का.अ.ज.पं. बैरसिया जिला भोपाल	बुधनी जिला सीहोर
8	श्री अंतर सिंह डाबर, वि.ख.अ.	190007205	प्र.मु.का.अ.ज.पं. मेघनगर जिला झाबुआ	पानसेमल जिला बडवानी
9	श्री आशीष जोशी, वि.ख.अ.	296008725	प्र.मु.का.अ.ज.पं. बेगमगंज जिला रायसेन	राजगढ़ जिला राजगढ़
10	श्री वेदमणि मिश्र, वि.ख.अ.	344012845	प्र.मु.का.अ.ज.पं. गोहपारू जिला शहडोल	अमरपाटन जिला सतना
11	श्री गौरीशंकर राजपूत, वि.ख.अ.	310013238	प्र.मु.का.अ.ज.पं. चंदेरी जिला अशोकनगर	राघौगढ़ जिला गुना
12	सुश्री शिवानी मिश्रा, वि.ख.अ.	361010443	प्र.मु.का.अ.ज.पं. इछावर जिला सीहोर	फंदा जिला भोपाल
13	सुश्री वर्षा झारिया, वि.ख.अ.	120014539	प्र.मु.का.अ.ज.पं. गोटेगांव जिला नरसिंहपुर	परासिया जिला छिन्दवाडा

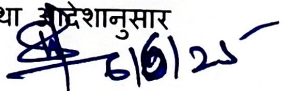


14	श्री हरीश केसरवानी, वि.ख.अ.	60014241	प्र.मु.का.अ.ज.पं. लवकुशनगर जिला छतरपुर	नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर
15	श्री पवन कुमार शाह, वि.ख.अ.	194009178	प्र.मु.का.अ.ज.पं. भगवानपुरा जिला खरगौन	जोबट जिला अलीराजपुर
16	कु. बन्दु सूर्यवंशी, वि.ख.अ.	168011338	प्र.मु.का.अ.ज.पं. साँची जिला रायसेन	पादुर्ना जिला पादुर्ना
17	सुश्री सुमन खातरकर, वि.ख.अ.	290008548	प्र.मु.का.अ.ज.पं. पिपरिया जिला नर्मदापुरम	केसला जिला नर्मदापुरम
18	श्री हेमन्त सुत्रकार वि.ख.अ.	422008435	प्र.मु.का.अ.ज.पं. नर्मदापुरम, जिला नर्मदापुरम	करैरा, जिला शिवपुरी
19	सुश्री दीप्ति यादव वि.ख.अ.	705802007	प्र.मु.का.अ.ज.पं. निवास जिला मण्डला	नारायणगंज जिला मण्डला
20	सुश्री सुमन चक वि.ख.अ.	230013668	प्र.मु.का.अ.ज.पं. अम्बाह, जिला मुरैना	भाण्डेर, जिला दतिया
21	श्री आकाश धार्वे, वि.ख.अ.	240009646	प्र.मु.का.अ.ज.पं. जावद जिला नीमच	लहार जिला भिण्ड
22	सुश्री दीक्षा जैन वि.ख.अ.	360013310	प्र.मु.का.अ.ज.पं. बारासिवनी जिला बालाघाट	धनौरा जिला सिवनी
23	श्री जोशुआ पीटर, वि.ख.अ.	401003255	पोषण आहार संयंत्र मण्डला जिला मण्डला	करंजिया जिला डिण्डौरी

- 2/ स्थानांतरण नीति की कंडिका क्रमांक 14 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरण शासकीय सेवकों को तब तक भारमुक्त न किया जाये, जब तक कि उनके स्थान पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पदभार ग्रहण न कर लिया गया हो, परंतु-उक्त शर्त एक अनुसूचित क्षेत्र से दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
- 3/ स्थानांतरण नीति की कंडिका क्रमांक 42 के अनुसार स्थानांतरण आदेश जारी होने के पश्चात दो सप्ताह में कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य है।
- 4/ स्थानांतरण नीति की कंडिका क्रमांक 45 के अनुसार स्थानांतरण आदेश में उल्लेखित एम्पलाई कोड वाले कर्मचारी / अधिकारी का कार्यमुक्ति के लिये पूर्वोक्त कंडिकाओं में निर्धारित समयावधि दो सप्ताह के उपरांत उक्त कर्मचारी / अधिकारी का वेतन का आहरण जिस स्थान से स्थानांतरण किया गया है उस स्थान से अनिवार्यतः बंद किया जाये। यदि इसके विपरीत वेतन आहरित होता है तो यह वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए कार्यालय प्रमुख, आहरण व सवितरण अधिकारी विशेष रूप से उत्तरदायी होगा।
- 5/ स्थानांतरण नीति की कंडिका क्रमांक 47 के अनुसार कार्यमुक्त होने के पश्चात एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकार किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(हृदयेश श्रीवास्तव)

उप सचिव

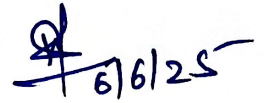
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक/ 693 /2025/वि-5/22/स्था.

भोपाल, दिनांक 06/06/25

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/निज सचिव राज्य मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. भोपाल ।
4. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
5. निज सहायक, प्रमुख सचिव / उप सचिव म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
6. विकास आयुक्त, म.प्र. भोपाल ।
7. संचालक, पंचायतराज संचालनालय विकास भवन भोपाल ।
8. समस्त कार्यक्रम / योजना प्रमुख पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल मध्यप्रदेश ।
9. संभाग आयुक्त मध्यप्रदेश ।
10. कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश ।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश ।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
13. संबंधित सर्व श्री/श्रीमती की ओर पालनार्थ ।
14. गार्ड फाइल ।

 6/6/25

उप सचिव

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग